बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई 1982 ई०।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर सं० 16 पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित, 17 एवं 18 पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित।	1—8
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 1277, 1279, 1916 पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित; 1917, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931 एवं 1932।	10—26
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) (सभा मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 20	28
तारांकित प्रश्नोत्तर सं० 1935, 1939, 1940, 1941, 1 43, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973, 1974, 1975, 1978, 1983, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2026, 2029, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2040, 2042, 2043 एवं 2044।	28—67
दैनिक निबंध	69

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

श्री भोला सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि बरौनी-बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपये के राजकीय प्रतिष्ठान लगे हुए हैं, इन राजकीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए, क्या इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और पिछले सत्र में जो आपने कहा कि पूरी राशि या दो-तिहाई राशि केन्द्रीय सरकार देने के लिए तैयार नहीं होगी तो राज्य-सरकार अपनी राशि से पहल करने की कोशिश करेगी, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामदेव राय—प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है।

पदाधिकारी पर कार्रवाई।

1929. श्री अजित कुमार सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गंगा के किनारे चीका से दीदारगंज के लिये सेन्ट माइकल स्कूल के पास बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु श्री सुशील कुमार सिंह, संवेदक को सन् 1981 में अट्ठारह लाख रुपये का ठीका दिया गया था ;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह बात सही है कि स्पेसीफिकेशन के अनुसार कार्य नहीं होने के कारण गंगा नदी के बाढ़ से किये गये कार्य नष्ट हो गये हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा इसे रोकने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा कटाव कार्य होने के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ ;

(4) क्या यह बात सही है कि सेन्ट माइकल स्कूल बचाने के नाम पर अभियंताओं द्वारा कोई बचाव कार्य तत्काल नहीं कर बरसात में लाखों रुपयों का जाली के साथ बोल्डर गिराने की भूमिका है ;

(5) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार लापरवाही बरतने और घटिया काम करने वाले पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजित कुमार सिंह—मैं पूछता हूं।

श्री रामदेव राय—(1) संत माइकल स्कूल के पीछे रिभेटमेंट एवं स्लोप प्रोटेक्शन कार्य का ठीका श्री सुशील कुमार सिंह, संवेदक को कुल 12,47,136 रु० की लागत पर 1980-81 में दिया गया था।

(2) उत्तर नकारात्मक है। कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया गया था। गंगा नदी के मुख्य धारा के मुड़ जाने के कारण भीषण कटाव के कारण किये गये कार्यों की क्षति हुई। अभियंता प्रमुख, सिंचाई विभाग तथा अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने विभाग के अनुरोध पर संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने स्पेसिफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं पायी।

(3) उत्तर नकारात्मक है। गंगा नदी के दाहिने किनारे का कटाव अप्रत्याशित होकर नदी की मुख्य धारा सोन सोतो से लेकर किनारे के बिल्कुल समीप आ गयी। यहां पानी की गहराई 20 फीट तक हो गयी थी। अतः रिभेटमेंट कार्य स्थगित कर दिया गया। बदली हुई परिस्थिति में संयुक्त निरीक्षण की अनुशंसा के अनुसार प्राक्कलन को तैयार किया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

(4) उत्तर नकारात्मक है।

(5) मूल योजना में वेभ वास और रेन कट्स से सुरक्षा हेतु रिभेटमेंट का प्रावधान किया गया था, लेकिन क्षति गहरे स्कावर के कारण हुआ है। इसमें घटिया कार्य तथा पदाधिकारियों की लापरवाही का प्रश्न नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अजित कुमार सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि जो बल्ला लगाया गया है वह अपटुडेट था कि नहीं ?

श्री रामदेव राय—ऐसी बात नहीं है।

श्री अजित कुमार सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि यह योजना तकनीकी रूप से सही नहीं है ?

श्री रामदेव राय—तकनीकी रूप से पूर्णतः सही है।

श्री अजित कुमार सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि सभी बल्ला गंगा में बह गया।

श्री रामदेव राय—ऐसी बात नहीं है।

जिम्मेवार पदाधिकारी पर कार्रवाई।

1930. श्री अजित कुमार सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमों के अनुरूप बिना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुए निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है ;